कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

एसबी सिविल याचिका संख्या 13564/2020 शैन्की नरूला बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।

उक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर की गई है, जो कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 संबंधित है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2020 मे अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है।

याचिकार्थी शैन्की नरूला द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 मे चयनोपरान्त विभाग द्वारा गृह जिला/चाहा गया जिला आवंटित न कर अन्य जिला आवंटन किया गया है। याचिकार्थी के कथनानुसार जिला परिवतर्न हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है, किन्तु उक्त परिवेदनाओ पर विचार नहीं किया गया। याचिकार्थी द्वारा निम्नलिखित जिले मे पदस्थापन की मांग की गई है।

क्र.सं.	मैरिट नं.	याचिका संख्या	नाम	गृह नगर/चाहा गया जिला	पदस्थापित स्थान/जिला
01	2327	13564/2020	शैन्की नरूला	श्रीगंगानगर	राउमावि सुरपुरा बाप, जोधपुर

जिला आवंटन के समय विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु–3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के अनुसार ही जिला आवंटन काउन्सलिंग प्रक्रिया के द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो मे याचिकार्थियों को जिलो का आवंटन किया गया था जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है।

शासन के निर्देशानुसार ही दिनांक 27.06.2020 को जिला आवंटन हेतु हेतु विशेष श्रेणियों का निर्धारण कर यथा सर्वप्रथम विकलांग/विधवा /परित्यक्ता/ भूतपुर्व सैनिक /शहीद सैनिक आश्रित/पति–पत्नी प्रकरण/एकल महिला/सामान्य महिला/अन्य अभ्यर्थियो को निम्नानुसार जिला आवंटन किया गया है –

श्रेणियां जिनमे रिक्त सीटों का आवंटन किया	श्रीगंगानगर जिले मे रिक्तियो का आवंटन
विकलांग	07
परित्यक्ता	0
एकल महिला	87
भूतपुर्व सैनिक	01
पति–पत्नी प्रकरण/कोई एक पूर्व मे राजकीय सेवा मे हो	04
असाध्य रोग	0
सामान्य महिला	55
अन्य शेष अभ्यर्थी	74
योग	228

जिला आवंटन के पश्चात कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने पर अभ्यर्थियो को तत्समय विभाग के पास उपलब्ध पदों के अनुसार उनके पूर्व पदस्थापन जिले परिवर्तित किये गये। लेकिन विभाग के पास कुछ जिलों में पदों की अनुपलब्धता के कारण सभी कार्मिकों को उनके गृह जिले/इच्छित जिले में पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है।

किसी कार्मिक द्वारा गृहनगर/इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियां के आधार पर कार्मिक के पक्ष मे इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था, राज्य हित व लोकहित को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते है।

कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, याचिकार्थी द्वारा गृह जिले मे पदस्थापन की मांग कनिष्ठ सहायक रिक्त पद नहीं होने एवं इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एव सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने के कारण एतदनुसार द्वारा याचिकार्थी शैन्की नरूला द्वारा दिनांक 28.12.2020 को प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/कनिसहा.2018/याचिकाएं/2021 / 79 दिनांक – 03/2/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि0/ 29812/एच/20 दिनांक 19.01.21
2. ऐनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबधित जिशिअ मु.मा. शि. जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिका से संबंधित कार्मिक को अभ्यावेदन के निर्णय से अवगत करवे।
4. शैन्की नरूला कनि.सहा. राउमावि सुरपुरा बाप, जोधपुर
5. रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर